

इसे वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 जून 2023—आषाढ़ 9, शक 1945

## भाग ४

विषय—सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जून 2023

क्रमांक एफ 3-4/2022/सात-4: भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल एतद् द्वारा मध्यप्रदेश राजस्व (तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 2017 संशोधित दिनांक 02 मई 2019 (हिन्दी प्रारूप दिनांक 01.11.2019) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं अर्थात् :-

### संशोधन

उक्त नियमों में :-

नियम (ii) की अनुसूची एक में कॉलम 04 के उपरान्त कॉलम 05 में संशोधित पदनाम स्थापित किया जाये अर्थात् :-

**अनुसूची-एक**  
(नियम 5 देखिये)

सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	संशोधित पदनाम	नियुक्तकर्ता अधिकारी
1	2	3	4	5	6
<b>(ख) संभागीय कार्यालय स्थापना (संभागीय आयुक्त कार्यालय)</b>					
शीघ्रलेखक ग्रेड-1	09	तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय)	9300-34,800 +4200 ग्रेड पे	वरिष्ठ निज सहायक	संभागीय आयुक्त
शीघ्रलेखक ग्रेड-2	14	तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय)	9300-34800 +3600 ग्रेड पे	निज सहायक	संभागीय आयुक्त
शीघ्रलेखक ग्रेड-3	10	तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय)	5200-20200 +2800 ग्रेड पे	शीघ्रलेखक	संभागीय आयुक्त
<b>(ग) जिला, अनुविभाग और तहसील कार्यालय स्थापना (जिला कलेक्टर कार्यालय अ.वि.अ.(राजस्व) कार्यालय और तहसील कार्यालय)</b>					
शीघ्रलेखक ग्रेड-2	14	तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय)	9300-34800 +3600 ग्रेड पे	निज सहायक	संभागीय आयुक्त
शीघ्रलेखक ग्रेड-3	78	तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय)	5200-20200 +2800 ग्रेड पे	शीघ्रलेखक	संभागीय आयुक्त

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
दिनेश कुमार मौर्य, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 30 जून 2023

क्र. एफ-3-4-2022-सात-4.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-4-2022-सात-4, दिनांक 30 जून 2023 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
दिनेश कुमार मौर्य, उपसचिव.

Bhopal, the 30<sup>th</sup> June 2023

No. F 3-4/2022/Sevan/4- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, amendment the Madhya Pradesh Revenue (Class III Clerical) Service Recruitment Rules 2017, as amended dated 02 May 2019 (Hindi version dated 01/11/2019) make the following amendments namely :-

**AMENDMENTS**

1. In the said rules :-

In rules (II) of Schedule-I after column 04, In column-05, the amended designation shall be inserted, namely -

**Schedule-I**  
(See reules-V)

Included in Service designation	Number of post	classification	Pay scale	amendments desligation	Appointing authority
1	2	3	4	5	6
<b>Divisional office Establishment (Divisional Commissioner Office)</b>					
Stenographer Grade-1	09	Class III (clerical)	9300-34800+4200 grade pay	Senior personal Assistant	Divisional Commissioner
Stenographer Grade-2	14	Class III (clerical)	9300-34800+3600 grade pay	personal Assistant	Divisional Commissioner
Stenographer Grade-3	10	Class III (clerical)	5200-20200+2800 grade pay	Stenographer	Divisional Commissioner
<b>District , Sub Division and Tehall Office Establishment (District Collector Office (Revenue) Office and Tehall Office</b>					
Stenographer Grade-2	14	Class III (clerical)	9300-34800+3600 grade pay	personal Assistant	Divisional Commissioner
Stenographer Grade-3	78	Class III (clerical)	5200-20200+2800 grade pay	Stenographer	Divisional Commissioner

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
DINESH KUMAR MAURYA, Dy. Secy.

## विधि एवं विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जून 2023

### शुद्धि-पत्र

फा. क्र. 3106-इक्कीस-ब-(एक)-2023.- "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) दिनांक 23 जून 2023 में प्रकाशित किए गए मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तों) नियम, 1994 में निम्नानुसार

1. प्रस्तावित नियम 5 में उप-नियम (4) के स्थान पर "(4) मुख्य परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र में सामान्य तथा अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को कम से कम कुल 50 प्रतिशत अंक तथा आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) के अभ्यर्थियों को कम से कम कुल 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना जरूरी है तथा सकल रूप से 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना जरूरी है।" पढ़ा जाए।
2. प्रस्तावित नियम 5 के उप-नियम (9) में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के बाद (1974 का 2) पढ़ा जाए तथा उप-नियम (10) में शब्द "ए.पी.सी" को शब्द "ए.सी.पी" पढ़ा जाए।
3. प्रस्तावित नियम 6 अ में दूसरी पंक्ति में शब्द प्रमस्तिष्क घात का लोप किया जाए तथा परन्तुक में शब्द "रिक्त" के स्थान पर "रिक्ति" पढ़ा जाए।
4. प्रस्तावित नियम 7 में खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित पढ़ा जाए।  
(घ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम तीन वर्ष तक शिथिलनीय होगी तथा टीप (दो) में शब्द में अंत में शब्द "प्रतिशत से कम होगी" के स्थान पर शब्द "प्रतिशत से कम नहीं होगी" पढ़े जाए।
5. प्रस्तावित नियम 8 के उप-नियम (1) में तीसरी पंक्ति में शब्द "प्रस्तुत करे" के स्थान पर शब्द "प्रस्तुत करने" तथा चौथी पंक्ति में शब्द "प्रयोग करे" के स्थान पर शब्द "प्रयोग करने" पढ़ा जाए तथा (1) (ख) में शब्द "उपस्थिति" को "उपस्थित" पढ़ा जाए तथा उप-नियम (2) के खण्ड (घ) में "संलिप्तपाया" को "संलिप्त पाया" पढ़ा जाए एवं (ड.) में शब्द "कदाचारण" को शब्द "कदाचरण" पढ़ा जाए। उपनियम (2) के खण्ड (च) के नीचे स्पष्टीकरण में "दहेज निषेध अधिनियम 1961" को "दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961" पढ़ा जाए।

6. प्रस्तावित नियम 11 में उप-नियम (एक) (ग) में शब्द "कन्ठि" को शब्द "कनिष्ठ" तथा शब्द "सिफरिश" को शब्द सिफारिश" पढ़ा जाए एवं उप-नियम (तीन) में शब्द "नकर" को शब्द "न कर" पढ़ा जाए।
7. प्रस्तावित नियम 18 में शब्द "उच्च न्यायालय" को शब्द "उच्च न्यायालय" पढ़ा जाए।
8. प्रस्तावित नियम 19 में शब्द "शिथिल करे" को शब्द "शिथिल कर" एवं परन्तुक में शब्द "राज्यपाल के" को शब्द "राज्यपाल को" पढ़ा जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
उमेश पाण्डव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 जून 2023

शुद्धि-पत्र

फा.क्र.-3207-इक्कीस-ब(एक)-2023.- राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2134/XXI-B(One)/2023, दिनांक 14 मई, 2023 के संबंध में निम्नलिखित शुद्धि-पत्र जारी करता है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, नियम 2 में उप-नियम (1) में शब्द "an" के स्थान पर शब्द "and" एवं नियम 2 के उप-नियम (1) के खण्ड (v) में शब्दों "The Principal Registrar" के स्थान पर शब्दों "The Principal Registrar, ILR (ex-officio)" पढ़े जाएं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
उमेश पाण्डव, सचिव.